कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-I, म.प्र.
भोपाल शाखा, 53, अरेरा हिल्स, होशंगाबाद रोड, भोपाल – 462011
दूरभाष 0755-2554821 & 2764037 फैक्स: 0755-2557452 ई-मेल: srdagaebhopal@cag.gov.in

सत्यमेव जयते

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

क्रमांक/नि.वि.1/समूह-2/डी- 637 दिनांक: 16.8.2024

प्रति,

समस्त वरिष्ठ संभागीय लेखा अधिकारी/
संभागीय लेखा अधिकारी/संभागीय लेखापाल,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
मध्य प्रदेश |

विषय:- अवर सचिव द्वारा लोक लेखा समिति का 454वा प्रतिवेदन "चतुदर्श" विधानसभा सिफारिश अनुसार जानकारी प्रेषित करने बावत |

संदर्भ:- पत्र क्रमांक एफ 10-2/2021/2/34 दिनांक 25 जुलाई 2024 |

उपरोक्त विषय के अंतर्गत लेख है कि लोक लेखा समिति का 454वां प्रतिवेदन में कंडिका क्र. 121 (महालेखाकार की उप कंडिका 2.1.9.2) (2) लोक स्वास्थ यांत्रिकी विभाग के खंड कार्यालयों में नियम विरुद्ध भुगतान की भविष्य में पुनरावृत्ति न हो, इस हेतु विभागवार एक निगरानी तंत्र विकसित करने की सिफारिश की गयी है |

उक्त सिफारिश के अनुक्रम में प्रमुख अभियता, लोक स्वास्थ यांत्रिकी विभाग, भोपाल ने संदर्भित पत्र के माध्यम से यह प्रस्तावित किया गया था कि प्रदेश के अंतर्गत विभाग के विभिन्न खंड कार्यालयों में महालेखाकार कार्यालय से प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ किये गए संभागीय लेखाधिकारी अपने पदस्थापना वाले लोक स्वास्थ यांत्रिकी विभाग के खंड कार्यालय के कार्य के अतिरिक्त समीपस्थ अन्य जिलो में लोक स्वास्थ यांत्रिकी विभाग के खंड कार्यालयों द्वारा जारी भुगतानों का नमूना परीक्षण करेंगे तथा परीक्षण में यदि कोई विसंगति/अनियमितता एवं त्रुटी पाई जाती है, तो उसका लेखा प्रतिवेदन सम्बंधित खण्ड कार्यालय के कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ यांत्रिकी विभाग की जानकारी में लायेंगे तथा सम्बंधित खण्ड के नियंत्रणकर्ता अधीक्षण यंत्री/मुख्य अभियंता/प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ यांत्रिकी विभाग को लिखित प्रतिवेदन के माध्यम से जानकारी अवगत करायेंगे |

यह पत्र उप महालेखाकार (नि.ले.) द्वारा अवलोकित है |

Bhagoliwal.
वरिष्ठ लेखा अधिकारी/नि.वि. -1